चरणसिंह बनाम भगवीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थना पत्र 324/2018 (2018/00259)
14/3/2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी के विपक्षीगण के प्रार्थना पत्र बाबत् कोर्ट फीस रेकार्ड पर लिए जाने का जवाब तथा अधिवक्ता विपक्षीगण के प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 151 CPC का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किए गए। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र बाबत कोर्ट फीस रेकार्ड पर लिए जाने हेतु स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
2018/00259	बहस प्रार्थना पत्र 212 [illegible] बाबत, अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति मौजा ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का जालमपुरा की आ.नं. 502, 519, 535, 548, 550, 551, 596, 676, 694, 700 कुल कीता 10 कुल रकबा 7.40 हे. जो विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है, जिसमे प्रार्थी के पिता का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर प्रार्थी का 1/18 हक हिस्सा निहित है। ग्राम जालमपुरा की आराजी नम्बर 511, 512, 513 कीता 3 रकबा 3.85 हे. मे प्रार्थी के पिता का 42/185 हक हिस्सा निहित है, जिसमे प्रार्थी [illegible] निहित है तथा ग्राम जालमपुरा की [illegible] नम्बर 609 कीता 1 रकबा [illegible] के पिता के नाम दर्ज है [illegible] हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात [illegible] ...... लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested

ीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर बतामी बटवाड़ा होकर प्रार्थी अपने हक हिस्सेमुजाए काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहता है तथा उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके जन्मसिद्ध निहित हक हिस्से से वंचित करना चाहता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, ऐसे में यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण उक्त आराजीयात को विक्रय कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है, जिसकी पूर्ति की जाना सम्भव नहीं होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जेरबहस भूमि को रहन बय बख्शीश नहीं करने एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करने व न किसी से कराने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जालमपुरा के खाता संख्या 109 में अंकित आराजी कीता 10 कुल रकबा 7.40 है0 भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी नहीं है, भूमि विपक्षीगण की खातेदारी की है। इसके अलावा खाता संख्या 134 में अंकित आराजी किता 3 रकबा 3.85 है0 में 0.52 है0 भूमि नगजीराम ने प्रेमचन्द पिता [illegible] से क्रय की है। आराजी संख्या 609 रकबा 0.11 है0 भूमि नगजीराम [illegible] पिता आसूराम के हाथों से क्रय की [illegible] प्रार्थी व प्रार्थी के सामने [illegible] उसके वारिसान ....लगातार (श्याम सुन्दर विश्नोई) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	1/1 व 1/2 का जैर बहस आराजीयात मे कोई हक हिस्सा निहित नही है तथा न ही उक्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किए जाने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दी गई दलीलो के आधार पर जैर बहस आराजीयात प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति नही होना पाया जाता है एवं यदि प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा होगा तो भी मूल वाद मे पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नही पाया जाने से खारीज किया जाता है। पत्रावली जेरकार शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय लिखाया जाकर बरे इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested